दिनांक 18.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 20/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद जालौन/थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147/148/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जसीम 2–इरफान 3–सफीउल्ला 4–इमरान 5–नब्बन 6–साबान को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना फर्रूखाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना फर्रूखाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 सपठित धारा 120बी एवं 201/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बुद्धपाल 2–रामसनेही 3–रामरहीस को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शहजहाँपुर/थाना मदनापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शहाजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना मदनापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अलीगढ़/थाना इगलास (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना इगलास पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जयपाल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना पुरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना पुरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बिनोद को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना सम्भल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना सम्भल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुंगा उर्फ नाजिर को 06 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>जनपद कुशीनगर/थाना तुर्कपट्टी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18.09.2023 को थाना तुर्कपट्टी व थाना विशुनपुरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सपही टड़वा नहर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित

आलमगीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तुर्कपट्टी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आलमगीर निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद चन्दौली/थाना बबुरी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 18.09.2023 को थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पाण्डेयपुर टीन सेड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बबुरी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बबुरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुलदीप निवासी ग्राम नवाबाद सरायरानी थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर।

जनपद औरैया/थाना दिबियापुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.09.2023 को थाना दिबियापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिझाई पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रमाकान्त सहित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रमाकान्त थाना दिबिया पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमाकान्त निवासी पुरानी दिबियापुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

2–अभियुक्ता।

जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **24 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 17.09.2023 को थाना फतेहपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तालगांव नहर पटरी मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शिवा सिंह 2–श्रीराम उर्फ बाबू घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–सचिन सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये , जिनकी गिरफ्तारी के

प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 24 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवा सिंह के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवा सिंह निवासी ग्राम खालिसपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

2—श्रीराम उर्फ बाबू निवासी ग्राम अतरौरा थाना जहॉगीराबाद जनपद बाराबंकी ।

3—सचिन निवासी ग्राम गोपालपुर थाना जहॉगीराबाद जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—24 हजार रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल।

3—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद औरैया/थाना दिबियापुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **13 निर्मित/अर्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 17/18.09.2023 को थाना दिबियापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कसा के पास बने खण्डहर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त रघुराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 13 निर्मित/अर्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रघुराज निवासी रामनगर थाना सहार जनपद औरैया।

बरामदगी

1—13 निर्मित/अर्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार, 190 ग्राम हेरोईन (अनुमानित मूल्य लगभग 19 लाख रूपये) बरामद।

दिनांकः 17—09—2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 190 ग्राम हेरोईन बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1. मो0 मुस्तकीम उर्फ जावेद पुत्र इमाम अली निवासी न्यू हैदरगंज निकट एरम कालेज राजाजीपुरम थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
2. श्याम सिंह पुत्र बगदू सिंह निवासी ग्राम दरियावपुर पो0 डोबरा थाना डग जिला झालावाड़ राजस्थान।

बरामदगीः—

1— 190 ग्राम हेरोईन।

2— 03 अदद मोबाइल फोन।

3— 01 अदद मोटर साइकिल नम्बर यूपी 32 जीएक्स 0085

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः</u>

शहीद पथ पर एयरपोर्ट लिंक रोड के पास, थाना सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ। दिनांक 17–09–2023 समय 20.30 बजे।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 17–08–2023 को निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व मे अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान टीम को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर राजस्थान से बस द्वारा आ रहा है तथा लखनऊ निवासी मो0 जावेद को उक्त अवैध मादक पदार्थ देने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा एनसीबी टीम को साथ लेकर मुखबिर की निशानदेही पर शहीद पथ पर दोनों तस्करो को अवैध मादक पदार्थ की डिलीवरी के समय गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 190 ग्राम हेरोईन की बरामदगी हुई।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त श्याम सिंह उपरोक्त ने बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है, जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता है तथा राजस्थान से हेराईन मंगाकर उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में इसकी सप्लाई करते है। आज हम लोग तीसरी बार माल लेकर आ रहे थे। दूसरे अभियुक्त मो0 मुस्तकीम उर्फ जावेद उपरोक्त ने बताया कि मै व मेरे ससुराल के सभी लोग जो टिकरा थाना जैदपुर के रहने वाले है, द्वारा राजस्थान से हेरोईन मंगाकर लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या व आस–पास के जनपदों में फुटकर में सप्लाई करने का कार्य किया जाता है। इस काम में काफी पैसा मिलता है

जिससे हम लोग लखनऊ में कई सम्पत्तियॉ बना ली है। वर्ष–2014 में सपा के टिकट से न्यू हैदरगंज वार्ड से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका हूं। पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में अपने साथी मो0 कासिम उर्फ काले निवासी टिकरा बाराबंकी के साथ 500 ग्रा0 मारफीन में जेल जा चुका हूं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही एनसीबी द्वारा की जा रही है।

मो0 मुस्तकीम उर्फ जावेद का आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 434/11 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जैदपुर, बाराबंकी।

––––––